न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 129/2006 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. तेज सिंह
2. बदना
3. सुरेश
4. पप्पू

} पुत्रगण श्यामा जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम सहेडी तहसील बाडी।

.....अपीलांट।

बनाम

1. उम्मेदी
2. रघुवीर

} पुत्रगण भरतसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अतरसुया तहसील बसेडी।

.....असल रेस्पोडेण्ट

3. कम्पूरी वेवा बल्ले जाति कुम्हार निवासी सहेडी का पुरा तहसील बाडी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी।

.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बाडी दि0 27.03.2006 प्र.सं. 73/2000 उनवानी तेज सिंह बनाम उम्मेदी वगै0।

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार भार्गव वकील अपीलांट।
2. श्री किशन सिंह त्यागी वकील रेस्पोडेण्ट ।

निर्णय दिनांक–14.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2006 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने एक दावा अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1668, 1669, 1670 ग्राम सहेडी नं0 1 तहसील बाडी में प्यारे पुत्र परमसुख 1/2 भाग का गैर खातेदार कृषक तथा शेष 1/2 भाग पर खच्चे पुत्र के इन्द्राजात थे। खच्चे के हिस्से का विवाद इस प्रकरण में नहीं है। प्यारे पुत्र परमसुख ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 70, 251, 253 के साथ विवादित आराजी जो गैर खातेदारी में दर्ज थी, को जोतने–बोने का हक अपीलाण्ट /वादीगण को जरिये वयनामा दे दिया। उक्त वयनामा दिनांक 17.06.1970 को निष्पादित हुआ, तभी से अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तथा प्रतिकूल कब्जें के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो गये हैं। किन्तु रैस्पो0/असल प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वह विवादित आराजी के 1/2 भाग के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदार कृषक है एवं अब हम तुमको काश्त नहीं करने देंगें। अतः वाद दायर कर स्वत्व घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बाद, बाद सुनवाई अपीलाण्ट/वादीगण एक पक्षीय, दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि पर वयनामा दिनांक 17.06.1970 के बाद से ही अपीलाण्ट का कब्जा है। रैस्पो0 का उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। असल रैस्पो0 संख्या 01 व 02 विवादग्रस्त आराजीयात को गलत नामानतकरण के आधार पर अपने आप को विवादग्रस्त आराजीयात का 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार होना बताते हैं व अपीलाण्ट के हकूको से इन्कार करने लगे हैं। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 25.01.1994 में भी पटवारी हल्का द्वारा भी विवादित आराजी के 1/2 भाग पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त अंकित किया गया है। अतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अपीलाण्ट खातेदारी अधिकार पाने के हकदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की मौखिक साक्ष्य पर गौर ना करते हुए, अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2006 को निरस्त करते हुए, दावा अपीलाण्ट/वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित भूमि का प्यारे राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज था, उसे विवादित आराजी विक्रय अथवा जोतने–बोने के लिए, देने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में रैस्पो0/प्रतिवादीगण के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अपीलाण्ट/वादीगण को विक्रय की जा चुकी है। चूंकि प्यारे स्वयं गैर खातेदार था, तो उसे विवादित आराजी के मुन्तकिल करने के कोई हक प्राप्त नहीं थे। अपीलाण्ट के पक्ष में कथित विक्रय पत्र से कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दावा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की गुॅजाईश शेष नहीं पाते हैं। किन्तु कथित आराजी रजिस्टर्ड वयनामा से रैस्पो0 द्वारा विक्रय की जा चुकी है। अतः विक्रय के कारण रैस्पो0 /प्रतिवादी के हितो का भी शमन हो चुका है। अतः तहसीलदार बाडी को निर्णय की प्रति प्रतिप्रेषित कर निर्देशित करना चाहेंगें कि

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

विक्रय के कारण रैस्पो0 / प्रतिवादीगण के हितों का शमन हो चुका है। अतः विधि अनुसार विवादित भूमि को राजकीय भूमि घोषित किये जाने की कार्यवाही करें।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2006 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official